

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -1159
दिनांक 06.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ईसीआर श्रेणी की पासपोर्ट धारक महिला कामगार

1159. श्रीमती महुआ मोइत्रा

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल सरकारी भर्ती अभिकरणों को ही उत्प्रवासन जांच आवश्यक (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्टधारक भारतीय महिला कामगारों को ईसीआर अधिसूचित देशों में रोजगार के लिए नियुक्त करने का अधिकार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऐसी नीति पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईसीआर श्रेणी के पासपोर्टधारक महिला कामगारों के लिए अन्य देशों में रोजगार हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, जबकि पुरुषों पर यह निर्बंधन लागू नहीं होता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऐसी पक्षपातपूर्ण नीतियां समानता, गैर-पक्षपात आदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)x

(क) से (ङ) सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय महिला ईसीआर श्रेणी के कामगारों की भर्ती को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, क्योंकि भारतीय महिला कामगारों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर उनकी सुरक्षा को खतरा रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर, तीस (30) वर्ष से कम आयु की ईसीआर पासपोर्ट धारक महिलाओं को किसी भी ईसीआर देश में सभी प्रकार के रोजगार के लिए उत्प्रवास मंजूरी देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। घरेलू कामगारों को उनके प्रायोजकों द्वारा बंधक बनाने और उनका परित्याग करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। भारत सरकार ने 2016 में जो पाबंदी लगाई थी, जिसके तहत ईसीआर देशों में रोजगार के लिए भारतीय महिला ईसीआर श्रेणी के कामगारों की भर्ती केवल सरकारी आरए द्वारा ही की जा सकती है, उसका उद्देश्य उचित दस्तावेजीकरण के साथ जानकारी युक्त, सुरक्षित और वैध उत्प्रवास सुनिश्चित करना है, ताकि उनके कल्याण की रक्षा की जा सके और उनका शोषण रोका जा सके।
